स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 378, दिनांकः 23–12–2024

दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–रजनीश कुमार पुत्र राजनाथ राम, ग्राम बीबीपुर कदीम, थाना तहबरपुर, आजमगढ़।
2–धर्मेन्द्र सेठ पुत्र श्री राम अचल सेठ, निवासी मोहल्ला रमकियान कस्बा सिरसा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः–

1– 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

हरसहाय जगदम्बा इण्टर सेठ पी रोड, थाना वजरिया, जनपद कानपुर नगर। दिनांक 22–12–2024 समय 16.45 बजे। (अभि0 धर्मेन्द्र सेठ)

एस0टी0एफ0 ऑफिस गोरखपुर फील्ड यूनिट जनपद गोरखपुर। दिनांक 22–12–2024 समय 15.45 बजे। (अभि0 रजनीश कुमार)

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 दिनांक 11–02–2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त करते हुये प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा कमेटी गठित कर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण का अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त प्रकरण से संबंधित मु0अ0सं0 74/24 थाना सिविल लाइन प्रयागराज की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के द्वारा की जा रही है, को अभिसूचना संकलन से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण रजनीश कुमार पुत्र राजनाथ राम व धर्मेश सेठ पुत्र रामअचल सेठ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी जिसके क्रम में इन अभियुक्तो को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर धर्मेन्द्र सेठ व रजनीश कुमार उपरोक्त ने बताया कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा में संदीप पाण्डेय के माध्यम से 08/02/2024 की रात्रि प्रयागराज से ट्रेन के माध्यम से भोपाल पहुंचा था, जहां पर उसके बताये अनुसार होटल कमल पैलेस आनंद नगर भोपाल में कमरा नं0 202 में रूकवाया गया। होटल के रजिस्टर में एंट्री के समय मैंने अपनी आई0डी0 दी थी। 07–08 लड़के और भी थे, अगले दिन दोपहर को संदीप पाण्डेय, विशाल के साथ सुभष प्रकाश

और विवेक उपाध्याय आदि तीन–चार लोग पेपर लेकर पहुंचे थे। पेपर में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा का सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न थे। उन लोगों ने प्रश्न पत्र को गूगल के माध्यम से हल करवाया था एवं हम सभी लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ने को दिया था। शाम को हम सभी लोगों से प्रश्न उत्तर आदि वापस ले लिये थे एवं वापस जाकर परीक्षा देने को कहा गया था। दिनांक 11/02/2024 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी–2023 की परीक्षा दी थी जिसमें वही प्रश्न आये थे जो कि संदीप पाण्डेय व उसके साथियों ने भोपाल के होटल में दिये थे। इसके लिये संदीप पाण्डेय को 12–15 लाख रूप्ये में सौदा हुआ था। इस सम्बन्ध में संदीप पाण्डेय को उसके साथियों सहित दिनांक 23.06.2024 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34/120बी/201 आई0पी0सी0 व 3/4/9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 व 66 आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही तद्नुसार की जायेगी।